फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

कैलाश चन्द बनाम कमलेश वगै0

किस्म मुकदमा–दावा तकारमा मु0नं0–12/2024

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात कुर्रेजात प्रस्ताव एवं संलग्न अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि कुर्रेजात प्रस्ताव मौका अनुसार तैयार नहीं किए गए है तथा जो रास्ता कुरेजात प्रस्ताव में दर्शाया गया है वह मौके पर बन्द है। तथा कुर्रेजात प्रस्ताव विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नहीं किए गए है इसलिए पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करवाएं जावें। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि कुर्रेजात प्रस्ताव में सभी खातेदारों को रास्ता उपलब्ध है, जो कि रिकॉर्ड में मौके पर चालू है तथा कब्जानुसार ही कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किए गए है। प्रतिवादीगण की ओर से पेश आपत्ति महज पत्रावली को डिले करने की नियत से पेश किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्तागण के अभिवचनों एवं पत्रावली मय कुर्रेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात प्रस्ताव में उभयपक्षकारों की भूमि से लगते हुए रास्ता उपलब्ध है। तथा प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आपत्ति में ऐसा कोई सारवान प्रश्न/तथ्य निहित नहीं है जिससे कुर्रेजात प्रस्ताव गलत होना जाहिर होता हो इसलिए कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2024/2611 दिनांक 28.08.2024 द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। तहसीलदार सिकराय मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव तकास्मा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.)